

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विक्रय विलेख

अनुलानक-11
(पृष्ठ 9-11)

यह विक्रय विलेख आप दिनांक माह वर्ष की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद्" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद् इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिणी है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्री / श्रीमती / कुमारी

वर्तमान पता

जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर / नगर

तहसील

जिला

में

नामक मुहल्ले के

आय वर्ग / मध्यम आय वर्ग / अल्प आय वर्ग / समाज के दुर्बल आय वर्ग का भवन संख्या

भूखण्ड अथवा भूखण्ड पर निर्मित उच्च

उक्त परिषद् ने

रु. (.....

रूपये) जिसका आधा

का निर्माण व्यय है और चूँकि

(.....

रूपये) होता है, के प्रतिकूल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या

) को, जिसका पूर्ण विवरण और

जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद् पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का

प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क्रय करने के

लिए सहमत है अतएव अब रु. (रूपये) की धनराशि के प्रतिकूलस्वरूप और सभी

सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद् एतद् द्वारा में स्थित सम्पूर्ण

सम्पत्ति और सरचना (सम्पत्ति संख्या.....) जिसे नीचे दी गई अनुसूचि में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित

किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तर्हित करती है :-



1. परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
3. उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया। अथवा किया जाना है।
4. इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के श्रुत्युक्त हक के कारण बाधित किया जाये तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:
 - (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
 - (ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
7. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गए किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसा व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाये, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या.....) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 18 प्रतिशत (अठ्ठारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।
8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा / करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा / करेगी।

9. इस विलेख के अधीन परिषद से हचुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या..... स्थित है के अतिरिक्त अनुदान भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक सक्रमित नहीं होगा या सक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10. क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिए गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे। जिसके साक्ष्य में श्री / श्रीमती / कुमारी

ओर से और श्री आशयिता ने परिषद के लिए और उसकी स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव ये प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची :

क्षेत्रफल वर्गमीटर

पूर्व मीटर

पश्चिम मीटर

उत्तर मीटर

दक्षिण मीटर

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी

(कृते आवास आयुक्त)

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर

2. नाम

3. पता

सीमाएँ : उत्तर

पूर्व

दक्षिण

पश्चिम

1. साक्षी : 1. हस्ताक्षर

2. नाम

3. पता

2. साक्षी : 1. हस्ताक्षर

2. नाम

3. पता

1. साक्षी : 1. हस्ताक्षर

2. नाम

3. पता

2. साक्षी : 1. हस्ताक्षर

2. नाम

3. पता

